वित्तीय स्वीकृति/स्पीड पोस्ट

संख्या: 10/2016/137 प्रो0/51-2016-14(28)/2015

प्रेषक,

जितेन्द्र राम त्रिपाठी,
संयुक्त सचिव,
मुख्य मंत्री एवं प्रोटोकाल,
उ0 प्र0 शासन ।

सेवा में,

जिलाधिकारी,
शाहजहॉपुर ।

मुख्य मंत्री कार्यालय (प्रोटोकाल अनुभाग) लखनऊ : दिनांक 04 फरवरी, 2016

विषय:- जनपद- शाहजहॉपुर में भ्रमण पर आये राज्य अतिथि के सेवा-सत्कार पर व्यय हेतु धनराशि की स्वीकृति ।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्रांक 307/ए0आर0ए0/वी0आई0पी0, दिनांक 06 जनवरी, 2016, पत्रांक 308/ए0आर0ए0/वी0आई0पी0, दिनांक 06 जनवरी, 2016, तथा पत्रांक 310/ए0आर0ए0/बी0आई0पी0, दिनांक 12 जनवरी, 2016 के सन्दर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि राज्य अतिथि के परिवहन से संबंधित पार्श्वंकित देयक के भुगतान हेतु धनराशि **रूपये 49,936/- (रूपये उनचास हजार नौं सौं छत्तीस मात्र)** आवंटित करते हुए उसे व्यय करने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीक़ृति प्रदान करते है।

1-	डा0 विजय कुमार सिंह जी, मा0 राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार), भारत सरकार, नई दिल्ली। दिनांक 30-11-2015 से 01-12-2015, वाहन संख्या: यू0 पी0-32, बी0एन0- 5933 देयक संख्या: एमबीडी -4086 दिनांक 02-12-2015, **रू 15,129@&**
2-	श्री राम शंकर कठेरिया, मा0 मंत्री, मानव संसाधन एवं विकास मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली, दिनांक 07-11-2015 से 09-11-2015 तक, वाहन संख्या: यू0 पी0-32, बी0एन0-4525 देयक संख्या: सीएस/सी/टी- 949, दिनांक 18-11-2015, **रू 28,248@&**
3-	श्री राजीव गुप्ता, सचिव, युवा कार्यक्रम विभाग खेल मंत्रालल, भारत सरकार, नई दिल्ली, दिनांक 28-01-2015 वाहन संख्या: यू0 पी0-32, बी0एन0-5931 देयक संख्या: बीएलबाई/एम/231 बिल, दिनांक 30-01-2015, **रू 6,559@&**

2- क़ृपया उक्त स्वीकृत धनराशि के आहरण की सूचना संबंधित कोषागार की डी0डी0ओ0 रिकान्सिलेशन स्टेटमेन्ट की प्रमाणित प्रति एवं भुगतान का व्यय विवरण निर्धारित प्रपत्र-1 पर शासन को एक सप्ताह के अन्दर अवश्य उपलब्ध करा दिया जाये । उक्त धनराशि के आहरण से पूर्व यह भी सुनिश्चित कर लिया जाये कि देयक का भुगतान दुबारा नही किया जा रहा है । उक्त् से संबंधित देयक मूलरुप में वापस किया जा रहा है । -2-

---

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

3- उक्त धनराशि का व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2015-2016 के आय-व्ययक के अनुदान संख्या-84 के अन्तर्गत लेखा शीर्षक-2053-जिला प्रशासन-आयोजनेत्तर-093-जिला स्थापनायें-03-कलेक्ट्रेट स्थापनायें-22-आतिथ्य व्यय / व्यय विषयक भत्ता आदि के नामें डाला जायेगा ।

संलग्नक: 03 मूलदेयक ।

भवदीय

(जितेन्द्र राम त्रिपाठी)
संयुक्त सचिव ।

संख्या: 10/2016/137(1)प्रो/51-2016-14(28)/2015, तददिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- महालेखाकार, प्रथम, उत्तर प्रदेश (प्रथम), इलाहाबाद ।
2- वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-5,
3- कोषाधिकारी, शाहजहॉपुर ।
4- प्रबन्ध निदेशक , उ0 प्र0 राज्य सड़क परिवहन निगम, लखनऊ ।
5- कार सेक्शन, उ0 प्र0 राज्य सड़क परिवहन भवन, टेहरी कोठी, महात्मा गॉधी मार्ग, लखनऊ ।
6- क्षेत्रीय प्रबन्धक, उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम, मुरादाबाद/बरेली ।
7- कार्यालय आदेश पुस्तिका ।

आज्ञा से

(जितेन्द्र राम त्रिपाठी)
संयुक्त सचिव A

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।